न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
01 / 2025 प्रा.पत्र / 2025	27.01.2025	28.02.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन निवासी चौधरी जी की गली गोविन्द देवजी मन्दिर के पास राजमहल तह. देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स चांदमल बाबूलाल जैन चौधरी जी की गली गोविन्द देवजी मन्दिर के पास राजमहल तह. देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304802 मोबाईल नं. 9509533715।

2–मैसर्स चांदमल बाबूलाल जैन चौधरी जी की गली गोविन्द देवजी मन्दिर के पास राजमहल तह. देवली जिला टोंक। राज0 पिनकोड–304802।

.......अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री पंकज कुमार जैन स्वयं उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 28/2/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.09.2024 को समय 02:00 पी.एम. पर मैसर्स चांदमल बाबूलाल जैन चौधरी जी की गली गोविन्द देवजी मन्दिर के पास राजमहल तह. देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स चांदमल बाबूलाल जैन चौधरी जी की गली गोविन्द देवजी मन्दिर के पास राजमहल तह. देवली जिला टोंक पर खादय पदार्थ गुड, तेल, घी मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ / मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले के साथ–साथ दुकान में कागज के एक कार्टून में लगभग 20–22 मूल पैक बोतल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एमएल पैक **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल(शिवम पोस्टमेन ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में कागज के एक कार्टून में लगभग 20–22 मूल पैक बोतल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500–500 एम.एल. पैक में से **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल(शिवम पोस्टमेन ब्राण्ड)** जिसके बैंच नं0 57 एवं पैकिंग की दिनांक अप्रेल 2024 थी, में से ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500–500 एमएल पैक के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विकृता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल(शिवम पोस्टमेन ब्राण्ड)** 500–500 एमएल के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4079 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4079 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन मैसर्स चांदमल बाबूलाल जैन चौधरी जी की गली गोविन्द देवजी मन्दिर के पास राजमहल तह. देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1261 दिनांक 16.10.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/3836/एक्ट/2024/3713

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दिनांक 07.10.2024 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल(शिवम पोस्टमेन ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री पंकज कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल(शिवम पोस्टमेन ब्राण्ड)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल(शिवम पोस्टमेन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 5,000/— (अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0